यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

मानव संसाधन विभाग, केंद्रीय कार्यालय

यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400021

स्टाफ परिपत्र क्र. 6687

दिनांक: 30 अक्तूबर, 2017

प्रति: सभी कार्यालय/शाखाएँ

परिपत्र की मुख्य विशेषताएँ
हमारे बैंक के स्टाफ सदस्यों, परिवीक्षाधीन सहित, के लिए शिक्षा ऋण योजना;
आकर्षक ब्याज दर @ 1वर्ष-एमसीएलआर+1.00%;
अन्य बैंक/वित्तीय संस्थाओं से शिक्षा ऋण टेक ओवर करने का प्रावधान.

विषय: स्टाफ के लिए विशेष शिक्षा ऋण योजना

बैंक सहर्ष सूचित करता है कि 27.10.2017 को आयोजित बोर्ड निदेशकों की बैठक में स्टाफ सदस्यों के लिए निम्नलिखित शिक्षा ऋण योजना को मंजूर किया है.

1. **पात्रता:**

1.1. इस योजना के अधीन बैंक के स्टाफ सदस्य, परिवीक्षाधीन सहित जिन्होंने किसी अन्य बैंक /वित्तीय संस्था से शिक्षा ऋण लिया है.

1.2. इस योजना के अधीन स्टाफ सदस्य के बच्चे पात्र नहीं हैं.

2. **ब्याज दर:**

ब्याज दर	1वर्ष-एमसीएलआर + 1.00%

3. **टेक ओवर मानदंड:**

अन्य बैंक /वित्तीय संस्थाओं से स्टाफ सदस्य, परिवीक्षाधीन सहित के शिक्षा ऋणों का टेक ओवर निम्नलिखित शर्तों एवं निबंधनों के अध्यधीन अनुमत है:

3.1. यह मानक संवर्ग में होना चाहिए. टेक ओवर के पूर्व अन्य बैंक / वित्तीय संस्थाओं से खाता विवरण प्राप्त करके यह सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व में खाते में कोई अतिदेय नहीं है.

3.2. जहां पाठ्यक्रम अवधि समाप्त हो चुकी है, पाठ्यक्रम पूर्ण होने संबंधी प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाए.

3.3. यूनियन एज्यूकेशन योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार कुल चुकौती अवधि (अन्य बैंक/वित्तीय संस्था में पूर्ण अवधि सहित) 15 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.

3.4. अन्य बैंक / वित्तीय संस्था से टेक ओवर के समय चुकौती अवधि के कम से कम 2 वर्ष शेष होने चाहिए.

3.5. रु. 7.50 लाख (मंजूर राशि) से अधिक शिक्षा ऋण के टेक ओवर में 100% संपार्श्विक प्रतिभूति समर्थित होनी चाहिए.

3.6. स्टाफ सदस्यों के वर्तमान शिक्षा ऋण को स्टाफ हेतु विशेष शिक्षा ऋण में स्थानांतरित करने का विकल्प.

3.7. स्टाफ के लिए विशेष शिक्षा ऋण की मंजूरी करते समय स्टाफ सदस्य जो आवेदक / सह - आवेदक के रूप में आवेदन करेगा उसके खिलाफ कोई भी प्रशासनिक कार्रवाई लंबित / अपेक्षित नहीं होनी चाहिए.

3.8. यह हमारे बैंक के यूनियन एज्यूकेशन योजना के दिशानिर्देशों के अनुरूप होना चाहिए.

4. प्रत्यायोजन:

4.1. स्टाफ के लिए विशेष शिक्षा ऋण योजना के अधीन ऋणों की मंजूरी शाखाओं में नहीं होगी.

4.2. स्टाफ सदस्यों को शिक्षा ऋण मंजूर करने का प्राधिकार आरएलसीसी/जेडएलसीसी/सीएसी के प्रत्यायोजन प्राधिकार के अनुसार निम्नानुसार होगा.

स्टाफ शिक्षा ऋण के लिए प्रत्यायोजित ऋण प्राधिकार:

	शाखा स्तर					रु.लाख में
वेतनमान	I	II	III	IV	V	VI
देशी एवं विदेशी	शून्य					

	क्रेडिट एप्रूवल समिति (सीएसी)							रु.लाख में
सीएसी	आरएलसीसी-II		आरएलसीसी -I		जेडएलसीसी क्षेत्र महा प्रबंधक प्रमुख	सीएसी-III महा प्रबंधक प्रमुख	सीएसी-II कार्यपालक निदेशक प्रमुख	सीएसी-I एमडी एवं सीईओ
	मुख्य प्रबंधक प्रमुख	सहा महा प्रबंधक प्रमुख	सहा महा प्रबंधक प्रमुख	उप महा प्रबंधक प्रमुख				
देशी एवं विदेशी	20.00	25.00	25.00	40.00	60.00	75.00	कोई उच्चतम सीमा नहीं	

4.3. शाखाएँ ऋण आवेदन को **LAS** में "स्टाफ के लिए विशेष शिक्षा ऋण योजना" के अधीन प्रोसेस करेंगे तथा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को अग्रेषित करेंगे. संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के ऋण विभाग सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु इसे प्रोसेस करेंगे.

5. डीविएशन:

5.1. स्टाफ के लिए विशेष शिक्षा ऋण योजना के अधीन कोई डीविएशन अनुमत नहीं है.

5.2. डीविएशन सहित प्रस्तावों को सामान्य एज्यूकेशन ऋण योजना के अधीन कवर किया जाएगा.

6. अन्य शर्तें एवं निबंधन:

6.1. कर्मचारी के बैंक को छोड़ने या इस्तीफा देने की दशा में वर्तमान एज्यूकेशन ऋण योजना के अनुसार स्टाफ के लिए विशेष शिक्षा ऋण से सामान्य शिक्षा ऋण में स्थानांतरण के पश्चात ही एनओसी जारी किया जाएगा ताकि बैंक छोड़ने की तारीख से खाते में सामान्य ब्याज दर लागू हो. ऐसे मामलों में स्टाफ के लिए विशेष शिक्षा ऋण को सामान्य शिक्षा ऋण में स्थानांतरित करने के बाद उधारकर्ता से उसके खाते से नियमित किश्त की कटौती हेतु ईसीएस मेंडेट प्राप्त किया जाए. इस संबंध में उनसे एक अंडरटेकिंग प्राप्त किया जाए.

6.2 यूनियन एज्यूकेशन ऋण के लिए आवश्यक दस्तावेज़ के अलावा स्टाफ ऋण के लिए लागू दस्तावेज़ भी प्राप्त किया जाए.

6.3 स्टाफ के लिए प्रस्तावित विशेष शिक्षा ऋण योजना को अलग योजना माना जाएगा तथा इसे यूनियन एज्यूकेशन योजना जैसे आईआईएम/आईआईटी/आईएसबी आदि के अधीन अन्य विशेष योजनाओं के साथ जोड़ा नहीं जाएगा.

7. वर्तमान यूनियन एज्यूकेशन योजना की अन्य सभी शर्तें एवं निबंधन स्टाफ शिक्षा ऋण योजना के लिए लागू होगा.

सभी कार्यालय / शाखाओं से अनुरोध हैं कि उपर्युक्त को नोट करें एवं तदनुसार मार्गदर्शित हों.

(आर: आर: मोहंती)

महा प्रबंधक (मासं)

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

Human Resource Department, Central Office

Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai 400021

Staff Circular No. 6627

Date: 30th October 2017

To: All Offices/ Branches

HIGHLIGHTS OF THE CIRCULAR
Education Loan Scheme for Staff members of our Bank including probationers;
Attractive ROI @ 1Y-MCLR +1.00%;
Provision for takeover of education loan from other banks/FIs.

Sub: SPECIAL EDUCATION LOAN SCHEME FOR STAFF

Bank is pleased to inform that the Board of Directors in the meeting held on 27.10.2017 has approved the education Loan scheme to staff members of our Bank as under:

1. **Eligibility:**
   1.1. Only staff members of our Bank including probationers, who have availed Education Loan for self from other banks/FIs, are eligible under this scheme.
   1.2. Loans to Children of the staff are not eligible under this scheme.
2. **Rate of Interest:**

Rate of Interest	**1Y- MCLR + 1.00%**

3. **Takeover norms:**
   Takeover of education loans of staff members including probationers from other banks/ FIs is permitted, subject to following terms & conditions:
   3.1. It should be in standard category. There should not be any history of overdue and statement of account to be obtained from other banks/FIs to ensure this before takeover.
   3.2. In case, course period is over, course completion certificate to be obtained.
   3.3. Total repayment period (including the period completed at other banks/FIs) should not exceed 15 years as per the guidelines of Union Education Scheme.
   3.4. At the time of takeover at least 2 years repayment period should have been left with other banks/FIs.
   3.5. Takeover of education loan exceeding Rs.7.50 lakh (sanctioned amount) should be 100% secured by collateral security.
   3.6. Option to staff members for conversion of their existing education loan under special education loan scheme for staff.
   3.7. At the time of sanction of special education loan for staff, there should not be any disciplinary action pending/contemplated against the staff member joining as applicant/co-applicant.
   3.8. It should conform to the guidelines of Bank's Union Education Scheme.

4. **Delegation:**
   4.1. Loans under special education loan for staff will not be sanctioned at Branches.
   4.2. Delegation to sanction education loan to the staff members will rest with RLCC/ZLCC/CAC as per their delegation as under:

   Delegated loaning powers for Staff Education Loan:

<table>
<tr><td></td><td colspan="7">Branch Head</td><td>Rs. in lakh</td></tr>
<tr><td>Scale</td><td colspan="2">I</td><td>II</td><td>III</td><td colspan="2">IV</td><td>V</td><td>VI</td></tr>
<tr><td>Inland & Abroad</td><td colspan="8">NIL</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="7">Credit Approval Committee</td><td>Rs. in lakh</td></tr>
<tr><td rowspan="2">CAC</td><td colspan="2">RLCC-II</td><td colspan="2">RLCC-I</td><td>ZLCC</td><td>CAC-III</td><td>CAC-II</td><td>CAC-I</td></tr>
<tr><td>headed by CM</td><td>headed by AGM</td><td>headed by AGM</td><td>headed by DGM</td><td>headed by FGM</td><td>headed by GM</td><td>headed by ED</td><td>headed by MD&CEO</td></tr>
<tr><td>Inland & Abroad</td><td>20.00</td><td>25.00</td><td>25.00</td><td>40.00</td><td>60.00</td><td>75.00</td><td colspan="2">No Ceiling</td></tr>
</table>

   4.3. Branches to process the loan application under "Special Education Loan Scheme for Staff" in LAS and forward the same to respective ROs. Advance department of respective ROs to process the proposal to be placed before sanctioning authority.

5. **Deviation:**
   5.1. No deviation is permitted under special education loan scheme for staff;
   5.2. Proposals with deviation will be covered under general education loan scheme

6. **Other terms and conditions:**
   6.1. In case of employee leaving or resigning from the Bank, issuance of NOC will be subject to conversion of special education loan for staff to general education loan as per the existing education loan scheme and normal rate of interest will be applied to the account from the date of leaving the Bank. In such cases, after converting special education loan for staff to general education loan, an ECS mandate to be obtained from the borrower that installment will be deducted from his/her account. Undertaking to this effect should be obtained.
   6.2. Apart from documents required for Union Education Loan, documents applicable for staff loan also to be obtained.
   6.3. The proposed Special Education Loan Scheme for staff will be treated as separate scheme and it should not be combined with other special schemes under Union Education Scheme like scheme for IIMs/IITs/ISBs etc.

7. **All other terms and conditions of the existing Union Education Scheme will be applicable for Special Education Loan Scheme for staff.**

All Offices/Branches are requested to take careful note of the above and be guided accordingly.

General Manager (HR)